



# छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2024 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 20 फरवरी, 2024 (फाल्गुन 1,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

- (1) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2022-23 पटल पर रखेंगे।
- (2) श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महिला एवं बाल विकास मंत्री, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (क्रमांक 4 सन् 2006) की धारा 36 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियम, 2009 के नियम 20 के उप नियम (3) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022-23 पटल पर रखेंगी।

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

- (1) श्री गजेन्द्र यादव, सदस्य, नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा बिना किसी मशीनरी के स्थापना एवं एकत्रित कचरे के समुचित निष्पादन किये बिना कार्य एजेंसी को भुगतान किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन) का ध्यान आकर्षित करेंगे।
- (2) श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य, विकासखण्ड गुरुर के ग्राम पलारी में नियम विरुद्ध उसना राईस मिल निर्माण के लिए अनुमति दिये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

निर्धारित समय

(शेष चर्चा) (1)

#### 4. वित्तीय वर्ष 2024-2025 की अनुदान मांगों पर चर्चा

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या 3 पुलिस

मांग संख्या 4 गृह विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 5 जेल

मांग संख्या 30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय

मांग संख्या 80 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

मांग संख्या 46 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

मांग संख्या 47 तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

2 घंटे

(2)

श्री दयालदास बघेल, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के विभागों से संबंधित—

मांग संख्या 39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

रायपुर,  
दिनांक 19 फरवरी, 2024

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा